न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सॉंखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 112/06 अन्तर्गत धारा 225 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. सोहनपाल

2. गुरूचरण पुत्रान सुमरता जाति वाल्मिकी निवासी झिरण्डिया तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0

:---- अपीलांट

बनाम

1 सोनु

2 मोनु पुत्रान हरसमल जाति वाल्मिकी निवासी झिरण्डिया तहसील किशनगढबास जिला अलवर हाल आबाद बदनीकला तहसील मोगा जिला संगरूर पंजाब

:---- असल रेस्पो0

3 शिवचरण पुत्र सुमरता

4 पप्पू पुत्र मदन पौत्र सुमरता जाति वाल्मिकी निवासी ग्राम झिरण्डिया तह0 किशनगढबास जिला अलवर (मृतक)

5 शीला पुत्री सुमरता पत्नि हरचन्द कौम वाल्मिकी निवासी ग्राम झिरण्डिया तह0 किशनगढबास जिला अलवर

6 सन्ता पुत्री सुमरता पत्नि हरना कौम वाल्मिकी निवासी ग्राम रालीया बास जिला रेवाडी हरियाणा

:----- तरतीबी रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय उपखंड अधिकारी, किशनगढबास दिनांक 17.7.2006

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री रामेश्वर दयाल

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

2. वकील रेस्पो0 :- बावजूद सूचना उपस्थित

निर्णय

दिनांक 05.03.2021

---

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, किशनगढबास द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 72/99 अन्तर्गत आदेश 22 नियम 9 में पारित निर्णय दिनांक 17.7.06 के खिलाफ है, जिसके द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है ।

2 विद्वान वकील अपीलांट ने लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी सुमरता ने तहत अदालत में दावा प्रस्तुत किया था । उक्त वाद में जवाब दावा भी प्रस्तुत हो चुका था । दौराने विचारण वाद प्रतिवादी हसमल का देहान्त हो चुका था । इसके बाद वादी ने वारिसान को रेकार्ड पर लेने का प्रार्थना पत्र दिया था । परन्तु तहत अदालत ने गलत तौर पर वाद अबेट कर दिया । उस अबेटमैंट को अपास्त कराने हेतु हमने तहत अदालत में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 9 प्रस्तुत किया, जिसे अपीलाधीन निर्णय द्वारा खारिज कर दिया, जिसकी यह अपील हमने प्रस्तुत की है । इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि प्रतिवादी का आदेश 22 नियम 10 ए के अनुसार यह कर्त्तव्य होता है कि वो अदालत को मृतक की जानकारी देवे । प्रतिवादी द्वारा न्यायालय को कोई सूचना नहीं दी गई थी । इसलिये मृतक की जानकारी हमको समय पर नहीं हो सकी थी । आदेश 22 नियम 4 उप नियम 4 में यह प्रावधान है कि यदि प्रतिवादी ने न्यायालय में उपस्थित होकर पैरवी नहीं की है और यदि पैरवी करता है किन्तु कन्टैस्ट नहीं करता है तो उस स्थिति में न्यायालय स्वयं प्रतिवादी के वारिसान को रेकार्ड पर लेने की छूट प्रदान कर सकता है । सी0 पी0 सी0 के आदेश 15 नियम 01 में यह प्रावधान है कि यदि पक्षकारों के मध्य विवाद नहीं है तो वाद पत्र डिक्री कर देना चाहिये था। प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादी स्वयं हसमल ने इकबाल दावा प्रस्तुत कर दिया था । ऐसी स्थिति में वाद पत्र डिक्री करना चाहिये था । दावा अबेट हो जाने के बाद उसे अपास्त कराने का प्रार्थना आदेश 22 नियम 9 प्रस्तुत किया जाता है । तहत अदालत ने गलत माना है कि अबेटमैंट को अपास्त कराने हेतु निगरानी करनी चाहिये । तहत अदालत का निर्णय विधिसम्मत नहीं है । अतः अपील स्वीकार की जावे । विद्वान वकील ने अपनी बहस के समर्थन में 2004 एस0 सी0 आर0 पेज

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

590 (सुप्रीम कोर्ट), 2006 (2) डब्ल्यू0 एल0 सी0 पेज 762 (राज0 हाई कोर्ट) का हवाला दिया ।

3 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा विद्वान वकील अपीलांट की लिखित बहस पर मनन किया। साथ ही सी0 पी0 सी0 के आदेश 22 के नियमों का अध्ययन किया । आदेश 22 नियम 10 ए में प्रतिपादित किया गया है कि अगर प्रतिवादी का देहान्त हो जाता है तो अन्य प्रतिवादी का यह कर्त्तव्य होता है कि वो उस मृतक प्रतिवादी की सूचना न्यायालय को दें । प्रस्तुत प्रकरण में तहत अदालत की पत्रावली में प्रतिवादी मृतक हसमल के देहान्त की सूचना अन्य प्रतिवादी द्वारा दिया जाना नहीं पाया जाता है । ऐसी स्थिति में तहत अदालत द्वारा वाद पत्र को अबेटमैंट में खारिज किया जाना विधिसम्मत नहीं है । लिहाजा वारिसान को रेकार्ड पर लेकर वाद पत्र का निर्णय मेरिटस पर किये जाने हेतु हम प्रकरण को रिमांड किया जाना न्यायोचित समझते हैं ।

4 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.7.06 तथा अबेटमैंट का आदेश दिनांक 18.11.96 निरस्त किये जाते है तथा अपीलांट द्वारा तहत अदालत में वारिसान को रेकार्ड पर लेने का प्रार्थना पत्र 2000/–रूपये की कोस्ट पर स्वीकार किया जाता है । कोस्ट तहत अदालत में अदा हो । तहत अदालत को आदेशित किया जाता है कि वो वारिसान को रिकार्ड पर लेकर वाद पत्र का निस्तारण गुणावगुण पर करें । अपीलांट वास्ते सुनवाई तहत अदालत में दिनांक 05.04.2021 को उपस्थित हों ।

5 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(अशोक कुमार सॉंखला)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील अधिकारी, अलवर